cont

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टहला (अलवर)

क्रमांक/भू.अ./2023/ 3225 दिनांक 20/7/2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
राजगढ़ (अलवर)

विषयः- वाद संख्या 01/4/2021 उनवान ममता बनाम रामसिंह

निर्णय दिनांक 24/11/22 वाके ग्राम कुण्डला

की पालना रिपोर्ट बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि आराजी खसरा नं. / रकबा 392/0.75, 394/0.63, 395/0.78, 396/0.02, 397/0.24, 398/0.18, 401/0.12, 402/0.14, 403/0.14, 404/0.30, 407/0.26, 408/0.15, 409/0.07, 410/0.29

किता 14 कुल रकबा 4.07 वाके ग्राम कुण्डला

के कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

संलग्न:- मूल पत्रावली शामिल

तहसीलदार (भू. अ.)
टहला (अलवर)

तहसीलदार (भू०अ०)
टहला (अलवर)

1327
24/7/23

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं V.P. Singh Naruka (नाम) तहसीलदार टहला, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के आदेश कमांक 312 दिनांक 07/07/23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 12/07/23 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 392 कौ किता- 14 वाके ग्राम कुण्डला पटवार हल्का कुण्डला पर श्री नारायणलाल व पटवारी सविता गुर्जर नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 01/04/2021 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 3067-3074 दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	रामसिंह पुत्र सुखपाल मीना				
2.	ममता पत्नी लालजीराम मीना				ममता मीना
3.	राजेन्द्र पुत्र बंशीधर मीना				नारायण
4.	भागीरथ पुत्र ख्याली मीना				भागीरथी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

(1) ममता देवी पत्नी लालजी राम जाति मीना सा. देह खातेदार

394 मी / 0.09 हे., 395 मी / 0.1643 हे. किता (2) / 0.2543 हे.

ममता मीना

---

(2) अन्य सभी सहखातेदारान

394 मी / 0.53 हे., 395 मी / 0.6157, 392 / 0.75, 396 / 0.02, 397 / 0.24, 398 / 0.18, 401 / 0.12, 407 / 0.26, 402 / 0.14, 403 / 0.14, 404 / 0.30, 408 / 0.15, 409 / 0.07, 410 / 0.29 कुल किता 14 रकबा 3.8157 हे.

(57)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
(1)	देवकरण पुत्र गंगा मीना	नि. रामजीलाल बसवा		देवकरण	
(2)	श्रीराम पुत्र रामजीलाल मीना	नि. बसवा		श्रीराम	
(3)	छुट्टनलाल पुत्र रामपाल मीना	नि. कुण्डला		छुट्टनलाल	

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
(1)	रामसिंह पुत्र सुखपाल मीना	निवासी कुण्डला			
(2)	राजेन्द्र पुत्र बंशीधर मीना	निवासी कुण्डला			

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
(1)	रामकिशोर पुत्र रामप्रताप मीना	निवासी कुण्डला			रामकिशोर
(2)	छुट्टन पुत्र भगवानसहाय मीना	निवासी कुण्डला			छुट्टन
(3)	पूरणमल पुत्र रामपाल मीना	निवासी कुण्डला			कन्हैयालाल
(4)	कन्हैयालाल पुत्र बक्सा मीना	निवासी कुण्डला			पूरणमल

इस प्रकार आज दिनांक 12/07/23 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी प.ह. कुण्डला
तह. टहला (अलवर)

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत.............
12-7-23

हस्ताक्षर
ना. तह. ....

हस्ताक्षर
तहसीलदार (भू.अ.)
टहला (अलवर)

(58)

नज़री नक्शा ग्राम - कुण्डला

तहसील - टहला (अलवर)

पैमाना 1cm = 40 मी.

संकेत

▦ **ममता w/o लालजीराम**

☰ अन्य सहखातेदारान

ममता मीना

श्रीराम

भरोसी मीणा

रामकिशोर

छुट्टन

12.7.23

तह. टहला (अलवर)

तहसीलदार (भू०अ०)
टहला (अलवर)

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)

वाद संख्या :– 01/04/2021 ऑन लाईन नम्बरः–2021/10

1. ममता देवी पत्नी श्री लालजीराम मीना आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर।

.......................वादीनी

बनाम

1. रामसिंह मीना पुत्र श्री सुखपाल मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
2. बंशीधर मीना पुत्र श्री पुत्र श्री सुखपाल मीना जाति मीना आयु 70 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर। (मृतक)

2/1 राजेन्द्र पुत्र स्व0 बंशीधर

2/2 ललितमोहन पुत्र स्व0 बंशीधर

2/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 बंशीधर

2/4 ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 बंशीधर जातियान मीना निवासीयान कुण्डला

3. भागीरथ मीना पुत्र श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
4. हरलाल मीना पुत्र श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 52 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
5. रेशम देवी पत्नी श्री बलराम मीना जाति मीना आयु 58 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
6. गंगा पुत्री श्री रामचन्द्र मीना जाति मीना आयु 50 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर। (मृतक)

6/1 देवकरण पुत्र रामजीलाल जाति मीना

6/2 श्रीराम पुत्र रामजीलाल

6/3 कैलाशी पुत्री रामजीलाल जातियान मीना निवासीयान जोरवालो की ढाणी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

7. रामप्रताप मीना पुत्र श्री हुकमा मीना जाति मीना आयु 66 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
8. कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री सम्पत मीना जाति मीना आयु 50 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
9. प्रहलाद मीना पुत्र श्री सम्पत मीना जाति मीना आयु 56 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
10. गोपाल मीना पुत्र श्री श्रीकृष्ण मीना जाति मीना आयु 56 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
11. रामजीलाल मीना पुत्र श्री श्रीकृष्ण मीना जाति मीना आयु 64 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
12. धापा देवी पत्नी श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 60 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
13. छीतर मीना पुत्र श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 52 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
14. रामस्वरूप मीना पुत्र श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 45 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

15. संतोष मीना पुत्र श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 42 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
16. नारायणी पुत्री श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 45 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
17. भगूती पुत्री श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 44 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
18. भौती पुत्री श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 47 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
19. नाथी देवी पत्नी श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
20. छोटी पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 47 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
21. ज्याना पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 42 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
22. मंगली पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
23. सोमोती पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 38 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
24. शान्ति देवी पत्नी श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 68 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
25. नमोनारायण मीना पुत्र श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 30 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
26. रूपनारायण मीना पुत्र श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
27. छोटी पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 22 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
28. मीरा पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 35 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
29. रूकमणी पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 51 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
30. सीता उर्फ सीमा पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 53 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
31. हीरा पुत्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 55 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
32. रामकिशोर मीना पुत्र श्री हुकमा मीना जाति मीना आयु 48 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
33. टूण्डा मीना पुत्र श्री पून्यारामु मीना जाति मीना आयु 70 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
34. रामनिवास मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
35. रामेश्वर मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
36. लक्ष्मण मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 44 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
37. छगन मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) लैण्ड होल्डर।

.................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

अनुवान:–ममता बनाम रामसिंह
मुकदमा संख्या 01/04/2021
निर्णय दिनांक 24.09.2025

दावा अन्तर्गत धारा 53, रा0का0अ0 1955
उपस्थित:– श्री विश्वास मित्तल एड0 वादी
श्री दीपक कुमार जैमन एड0 प्रतिवादी

दिनांक 24.09.2025

निर्णय

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 392/0.75, 394/0.63, 395/0.78, 396/0.02, 397/0.24, 398/0.18, 401/0.12, 402/0.14, 403/0.14, 404/0.30, 407/0.26, 408/0.15, 409/0.07, 410/0.29 कुल किता 14 कुल रकबा 4.07 है0 वाके ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी के मुताबिक वादीनी का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 9/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 3/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का प्रत्येक का 9/448–9/448 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/16–1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 का प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 18 का प्रत्येक का 1/56–1/56 , प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 23 का प्रत्येक का 1/224–1/224 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 31 का प्रत्येक का 1/256–1/256 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 32 का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 34 लगायत 37 के पिता हरसहाय 3/32–3/32 हिस्सा तथा रामजीवन पुत्र बाला व ईशर दत्तक पुत्र काल्या प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रामजीवन पुत्र बाला का सौतेला भाई प्रतिवादी संख्या 33 टूण्डा उसका अग्रिम श्रेणी का वारिस होने के नाते उनके हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। चूंकि पक्षकारान के मध्य अब काश्त करने में सुविधाजनक नही रहा है और आपस में काश्त को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है तथा प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी को बिना तकसीम करवाये बेचान करने को आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक–पृथक किया जावे। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 लगायत 11 तथा 19 लगायत 24, व 26 लगायत 30 व 34 उपस्थित न्यायालय आये। एवं प्रतिवादी संख्या मृतक प्रतिवादी संख्या 2 बंशीधर के वारिस 2/1 लगायत 2/4 व मृतक प्रतिवादी संख्या 6 गंगा के वारिस 6/1 लगायत 6/3, 8, 12 लगायत 18, 25 व 31 से 33, 35 लगायत 37 बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नही आने की स्थिति में उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वकुलाय की ओर से दिनांक 03/08/2022 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने पर सहमति दी गई। प्रकरण में तहसीलदार टहला क्रमांक/भू.अ./2022/3198 दिनांक 22.09.2022 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है। बहस प्रार्थना पत्र एतराज कुर्रेजात पर सुनी गई। एतराज कुर्रेजात प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.11.2022 को दावा डिक्री किया गया। जिसके उपरान्त श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 09.06.2023 में हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2022 को रिमाण्ड कर की उभय पक्षकारान को पुनः सुनकर तहसीलदार की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जाकर पुनः निर्णय पारित करें। न्यायालय श्रीमान की अनुपालना में तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2023/3225 दिनांक 20.07.2023 से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा0 मि0 है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 लगायत 11 तथा 19 लगायत 24, व 26 लगायत 30 व 34 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिशल है।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 81 वाके ग्राम कुण्डला के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। तहसीलदार टहला के ***पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2023/3225 दिनांक 20.07.2023*** द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2022 के उपरान्त प्रतिवादीगण ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गई। जिसमें श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर ने दिनांक 09.06.2023 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2022 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है। कि वो प्रकरण में सभी पक्षकरान की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाकर विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश पारित किये गये। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के आदेशों की अनुपालना में पत्रावली दिनांक 07.07.2023 को पुनः दर्ज रजिस्ट्रर की गई। साथ ही तहसीलदार टहला को तहरीर जारी कर आदेश दिया गया। कि आप स्वयं की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर हाजा न्यायालय में भिजवाया जावे। इसी दौराने दिनांक 31.07.2023 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के पत्रांक टीए/अपील/2023/3497/अलवर/28/07/2023 से पत्रावली तलब का पत्र

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

प्राप्त हुआ। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की अनुपालना में हाजा न्यायालय की पत्रावली को माननीय न्यायालय की सेवा में प्रेषित की गई। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 19.12.2024 में यह निर्णय पारित किया गया की योग्य अपीलीय न्यायालय भू– प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 की पुष्टि की गई। माननीय न्यायालयो के आदेश की पालना में तहसीलदार टहला ने सभी सह खातेदारान को नोटिस जारी कर अपनी स्वयं की उपस्थिति में विभाजन नियम 18 से 21 की पालना कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई। तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट को तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2023/3225 दिनांक 20.07.2023 से हाजा न्यायालय को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। जो शामिल मिशल है।

7. पत्रावली न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से दिनांक 02.01.2025 को प्राप्त होकर हाजा न्यायालय में पेश हुई। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 15.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 रूल 1(3) व 151 सीपीसी तथा एतराज कुर्रेजात का पेश किया गया। जो शामिल मिशल है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 रूल 1(3) व 151 सीपीसी की बहस दिनांक 27.08.2025 को वकुलाय की सुनी गई। बाद गौर प्रार्थना पत्र व बहस वकुलाय पर मनन के बाद प्रार्थना पत्र आदेश 8 रूल 1(3) व धारा 151 सीपीसी दिनांक 09.09.2025 को खारीज/अस्वीकार किया गया। ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट पर दिनांक 17.09.2025 को बहस वकुलाय की सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट के तहसीलदार टहला से पुनः मगवाने के लिए निवेदन किया गया। जवाब में वकील वादी ने कथन किया गया की श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 09.06.2023 व न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुसार तहसीलदार टहला की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पुनः आदेश पारीत करने के लिए ओदश दिये गये थे। इसलिए ऐतराज कुर्रेजात खारीज कर दावा वादनी डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। बहस वकुलाय व ऐतराज कुर्रेजात पर गहन मनन व अवलोकन पाया गया की न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी व न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने तहसीलदार की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश दिये गये। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार टहला ने सभी पक्षकारान को नोटिस जारी कर अपनी स्वयं की उपस्थिति में विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार हाजा न्यायालय को प्रेषित की गई। इसलिए ऐतराज कुर्रेजात खारीज/अस्वीकार किया जाता है। बाद गौर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन व मनन के बाद सह खातेदार बाद तमसीम अपने पृथक–पृथम खाते मे खातेदारी दर्ज करते हुए दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 392/0.75, 394/0.63, 395/0.78, 396/0.02, 397/0.24, 398/0.18, 401/0.12, 402/0.14, 403/0.14, 404/0.30, 407/0.26, 408/0.15, 409/0.07, 410/0.29 कुल किता 14 कुल रकबा 4.07 है0 वाके ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 19.12.2024 व न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 09.06.2023 के निर्देशानुसार प्राप्त मुताबिक तहसीलदार टहला की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 के अनुसार दावा वादीनी तकसीम कर डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

अनुवाद–ममता बनाम रामसिंह
मुकदमा संख्या 01/04/2021
निर्णय दिनांक 24.09.2025

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	ममता देवी पत्नी लालजीराम जाति मीना सा0देह0 खातेदार 1/16 हिस्सा	394 मिन 395 मिन कुल किता 02	0.09 है0 0.1643 है0 0.2543 है0
2	रामसिंह पुत्र सुखपाल, बंशीधर पुत्र सुखपाल जरिये वारिसान राजेन्द्र, ललित मोहन, ओमप्रकाश पुत्रान बंशीधर ग्यारसी देवी पत्नी बंशीधर, भागीरथ पुत्र ख्याली, हरलाल पुत्र ख्याली, रेशमदेवी पत्नी बलराम, गंगा पुत्री रामचन्द्र मृतक जरिये वारिसान देवकरण, श्रीराम, कैलाशी पुत्रान/पुत्रीया श्रीमती गंगा, रामप्रताप पुत्र हुकमा, कैलाशचन्द पुत्र सम्पत, प्रहलाद पुत्र सम्पराम, गोपाल पुत्र श्रीकृष्ण, रामजीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, धापा पत्नी रेवडा, छीतर पुत्र रेवडा, रामस्वरूप पुत्र रेवडा, संतोष पुत्र रेवडा, नारायणी पुत्री रेवडा, भगूती पुत्री रेवडा, भौती पुत्री रेवडा, नाथीदेवी पत्नी ख्याली, छोटी पुत्री ख्याली, ज्याना पुत्री ख्याली, मंगली पुत्री ख्याली, सोनोती पुत्री ख्याली, शांति देवी पत्नी गब्बू, नमोनारायण पुत्र गब्बू, रूपनारायण पुत्र गब्बू, छोटी पुत्री गब्बू, मीरा पुत्री गब्बू, रूकमणी पुत्री गब्बू, सीता उर्फ सीमा पुत्री गब्बू, हीरा पुत्री गब्बू, रामकिशोर पुत्र हुल्ला, टूण्डा पुत्र पून्याराम, रामनिवास पुत्र स्व0 हरसहाय, रामेश्वर पुत्र स्व0 हरसहाय, लक्ष्मण पुत्र स्व0 हरसहाय, छगन पुत्र स्व0 हरसहाय जातियान मीना सा0देह0 खातेदार हिस्सा मुताबिक जमाबन्दीनुसार।	394 मिन 395 मिन 392 396 397 398 401 402 403 404 407 408 409 410 कुल किता 14	0.53 0.6157 0.75 0.02 0.24 0.18 0.12 0.14 0.14 0.30 0.26 0.15 0.07 0.29 कुल रकबा 3.8157 है0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 20.07.2023 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार टहला को ओदश दिये जाते है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :— 01/04/2021 ऑन लाईन नम्बरः—2021/10

1. ममता देवी पत्नी श्री लालजीराम मीना आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डला तहसील टहला जिला अलवर।

.......................वादीनी

बनाम

1. रामसिंह मीना पुत्र श्री सुखपाल मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
2. बंशीधर मीना पुत्र श्री पुत्र श्री सुखपाल मीना जाति मीना आयु 70 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर। (मृतक)
   2/1 राजेन्द्र पुत्र स्व0 बंशीधर
   2/2 ललितमोहन पुत्र स्व0 बंशीधर
   2/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 बंशीधर
   2/4 ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 बंशीधर जातियान मीना निवासीयान कुण्डला
3. भागीरथ मीना पुत्र श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
4. हरलाल मीना पुत्र श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 52 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
5. रेशम देवी पत्नी श्री बलराम मीना जाति मीना आयु 58 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
6. गंगा पुत्री श्री रामचन्द्र मीना जाति मीना आयु 50 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर। (मृतक)
   6/1 देवकरण पुत्र रामजीलाल जाति मीना
   6/2 श्रीराम पुत्र रामजीलाल
   6/3 कैलाशी पुत्री रामजीलाल जातियान मीना निवासीयान जोरवालो की ढाणी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
7. रामप्रताप मीना पुत्र श्री हुकमा मीना जाति मीना आयु 66 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
8. कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री सम्पत मीना जाति मीना आयु 50 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
9. प्रहलाद मीना पुत्र श्री सम्पत मीना जाति मीना आयु 56 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
10. गोपाल मीना पुत्र श्री श्रीकृष्ण मीना जाति मीना आयु 56 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
11. रामजीलाल मीना पुत्र श्री श्रीकृष्ण मीना जाति मीना आयु 64 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
12. धापा देवी पत्नी श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 60 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
13. छीतर मीना पुत्र श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 52 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

14. रामस्वरूप मीना पुत्र श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 45 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
15. संतोष मीना पुत्र श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 42 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
16. नारायणी पुत्री श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 45 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
17. भगूती पुत्री श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 44 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
18. भौती पुत्री श्री रेवडा मीना जाति मीना आयु 47 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
19. नाथी देवी पत्नी श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
20. छोटी पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 47 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
21. ज्याना पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 42 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
22. मंगली पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
23. सोमोती पुत्री श्री ख्याली मीना जाति मीना आयु 38 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
24. शान्ति देवी पत्नी श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 68 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
25. नमोनारायण मीना पुत्र श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 30 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
26. रूपनारायण मीना पुत्र श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
27. छोटी पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 22 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
28. मीरा पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 35 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
29. रुकमणी पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 51 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
30. सीता उर्फ सीमा पुत्री श्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 53 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
31. हीरा पुत्री गब्बू मीना जाति मीना आयु 55 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
32. रामकिशोर मीना पुत्र श्री हुकमा मीना जाति मीना आयु 48 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
33. टून्डा मीना पुत्र श्री पून्याराम मीना जाति मीना आयु 70 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
34. रामनिवास मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 65 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
35. रामेश्वर मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
36. लक्ष्मण मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 44 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

37. छगन मीना पुत्र स्व. श्री हरसहाय मीना जाति मीना आयु 40 वर्ष निवसी ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) लैण्ड होल्डर।

.................प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, रा0का0अ0
उपस्थितः– श्री विश्वास मित्तल एड0 वादी
श्री दिपक कुमार जैमन एड0 प्रतिवादी
दिनांक 24.09.2025

–ःपर्चा डिक्रीः–

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 392/0.75, 394/0.63, 395/0.78, 396/0.02, 397/0.24, 398/0.18, 401/0.12, 402/0.14, 403/0.14, 404/0.30, 407/0.26, 408/0.15, 409/0.07, 410/0.29 कुल किता 14 कुल रकबा 4.07 है0 वाके ग्राम कुण्डला तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर को *माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 19.12.2024 व न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 09.06.2023 के निर्देशानुसार प्राप्त मुताबिक तहसीलदार टहला की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 के अनुसार दावा वादीनी तकसीम कर डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–*

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	ममता देवी पत्नी लालजीराम जाति मीना सा0देह0 खातेदार, 1/16 हिस्सा	394 मिन 395 मिन	0.09 है0 0.1643 है0
		कुल किता 02	0.2543 है0
2	रामसिंह पुत्र सुखपाल, बंशीधर पुत्र सुखपाल जरिये वारिसान राजेन्द्र, ललित मोहन, ओमप्रकाश पुत्रान बंशीधर ग्यारसी देवी पत्नी बंशीधर, भागीरथ पुत्र ख्याली, हरलाल पुत्र ख्याली, रेशमदेवी पत्नी बलराम, गंगा पुत्री रामचन्द्र मृतक जरिये वारिसान देवकरण, श्रीराम, कैलाशी पुत्रान/पुत्रीया श्रीमती गंगा, रामप्रताप पुत्र हुकमा, कैलाशचन्द पुत्र सम्पत, प्रहलाद पुत्र सम्पराम, गोपाल पुत्र श्रीकृष्ण, रामजीलाल पुत्र श्रीकृष्ण, धापा पत्नी रेवडा, छीतर पुत्र रेवडा, रामस्वरूप पुत्र रेवडा, संतोष पुत्र रेवडा, नारायणी पुत्री रेवडा, भगूती पुत्री रेवडा, भौती पुत्री रेवडा, नाथीदेवी पत्नी ख्याली, छोटी पुत्री ख्याली, ज्याना पुत्री ख्याली, मंगली पुत्री ख्याली, सोमोती पुत्री ख्याली, शांति देवी पत्नी गब्बू, नमोनारायण पुत्र गब्बू, रूपनारायण पुत्र गब्बू, छोटी पुत्री गब्बू, मीरा पुत्री गब्बू, रूकमणी पुत्री गब्बू, सीता उर्फ सीमा पुत्री गब्बू, हीरा पुत्री गब्बू, रामकिशोर पुत्र हुक्मा, टूण्डा पुत्र पून्याराम, रामनिवास पुत्र स्व0 हरसहाय, रामेश्वर पुत्र स्व0 हरसहाय, लक्ष्मण पुत्र स्व0 हरसहाय, छगन पुत्र स्व0 हरसहाय जातियान मीना सा0देह0 खातेदार	394 मिन 395 मिन 392 396 397 398 401 402 403 404 407 408 409 410	0.53 0.6157 0.75 0.02 0.24 0.18 0.12 0.14 0.14 0.30 0.26 0.15 0.07 0.29
		कुल किता 14	कुल रकबा 3.8157 है0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 20.07.2023 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार टहला को ओदश दिये जाते है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.09.2025 को तैयार की गई।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर